मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2017 (चैत्र 2, 1939)

समय 11.00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री रबि राय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष,
(2) श्री पी. शिवशंकर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(3) श्री गुरुचरण सिंह, पूर्व विधान सभा सदस्य, तथा
(4) डॉ. धर्मवीर, पूर्व विधान सभा सदस्य.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री, नि:शक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन, भोपाल, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के मातगुंआ थाना प्रभारी द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कमलेश्वर पटेल, रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति / स्वीकृति.

(1) सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां एवं इक्यावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ तेईसवां से एक सौ चवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम जुझारी के समीप भुतहाई नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम बांसी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(3) श्री महेश राय, सदस्य, सागर जिले के चन्द्रशेखर वार्ड के श्री कुंवरलाल सेन की झोपड़ी में आग लगने से हुई आर्थिक क्षति का मुआवजा दिलाये जाने,
(4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, आगर जिले के ग्राम खेलागांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण किये जाने,
(5) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मड़वा में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना किये जाने,
(6) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम वोचरों के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(7) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड बिछुआ में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किये जाने,
(8) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के क्षेत्र पोहरी के महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षायें तथा एम.ए. की कक्षायें प्रारंभ किये जाने,
(9) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम अगारा से बटियागढ़-हटा मुख्य मार्ग का निर्माण किये जाने,
(10) श्रीमती प्रमिला सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम चितरांव के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(11) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के कन्नौद विकासखण्ड के मवाड़ा (खैरी) में बांध स्वीकृत किये जाने,
(12) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु म.प्र. शासन से राशि आवंटन किये जाने,
(13) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम डोभी में शासकीय कन्या हाई स्कूल का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
(14) श्री मुकेश पण्ड्या, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम दोत्रु से पलासिया मार्ग का निर्माण किये जाने,
(15) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम नौगांव के गढ़ी मलहरा के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(16) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बरेला से पड़वार लिंक रोड का डामरीकरण किये जाने,

-2-

(17) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम धमन्या एवं कुड़ार के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(18) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम केली से पनवाड़ा मार्ग का डामरीकरण एवं पुलिया का निर्माण किये जाने,
(19) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम केरका से धावा तक पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने,
(20) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम कुड़ीला से रजक मुहल्ला तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(21) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के सेंवढ़ा मिडिल स्कूल नं. 1 का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(22) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के पंत नगर वार्ड में संजय ड्राइव नहर के पास से सनी टिलवानी के मकान तक सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,
(23) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम मलाह पिपरिया की शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(24) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम अर्जुनगांव के खिरिया टोला में दुग्धी नदी के कटाव को रोकने हेतु सुरक्षा वाल बनाये जाने,
(25) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम पंचायत सावन में पशु चिकित्सालय भवन बनाये जाने,
(26) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम देवसरी में बांध बनाये जाने,
(27) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम लूँड की प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन का निर्माण किये जाने,
(28) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बांदनी, ज्वाना एवं सिलावट-सटई मार्ग का निर्माण किये जाने,
(29) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम झिरी से केंकड़ा मार्ग का निर्माण किये जाने,
(30) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम रामपुरिया से घनसौदा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(31) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम सरवड़ एवं डेलनपुर में नवीन ग्रिड स्थापित किये जाने,
(32) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ब्लॉक पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य.

श्री सूर्यप्रकाश मीना, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, दिनांक 22 फरवरी, 2017 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 120 (क्रमांक 1175) तथा दिनांक 9 मार्च, 2017 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 181 (क्रमांक 5612) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

9. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:).

निर्धारित समय			
2 घण्टे 30 मि.	(1)	मांग संख्या – 3	पुलिस
		मांग संख्या – 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या – 36	परिवहन.
1 घण्टा	(2)	मांग संख्या – 15	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास.
2 घण्टे	(3)	मांग संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण.
1 घण्टा	(4)	मांग संख्या – 26	संस्कृति
		मांग संख्या – 37	पर्यटन.
1 घण्टा 30 मि.	(5)	मांग संख्या – 17	सहकारिता
		मांग संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.
1 घण्टा	(6)	मांग संख्या – 63	अल्पसंख्यक कल्याण
		मांग संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण
		मांग संख्या – 69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण.
2 घण्टा	(7)	मांग संख्या – 38	आयुष.
		मांग संख्या – 52	चिकित्सा शिक्षा
1 घण्टा	(8)	मांग संख्या – 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम.
1 घण्टा	(9)	मांग संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) का पुर:स्थापन करेंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 मार्च, 2017